In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 10357 2015/ 22(120)/ XXVII(8)/2008 dated December, 2015 for general information.

Government of Uttarakhand VITTA ANUBHAG-8 NO. 10 35 72015/22(120)/XXVII(8)/2008 Dehradun:: Dated: 10 December, 2015

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of "the Uttarakhand Tax on Entry Of Goods Into Local Areas Act, 2008" (Act No. 13 of 2008) read with section 21 of the Uttar Pradesh General clause Act, 1904(UP Act No. 1 of 1904)(as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to direct that, the following amendment in the Schedule of the Uttarakhand Tax on Entry Of Goods Into Local Areas Act, 2008, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette:-

Schedule

Sl.No.	Description of Goods
22	All kind of goods purchased or ordered through online
	shopping or E-Commerce and consigned into the local area of
	the State of the Uttarakhand for personal use.

(Amit Singh Negi) Secretary

उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग—8 सं0 /2015/22(120)/XXVII(8)/ 2008 दिनांकः: देहरादूनः: । दिसम्बर, 2015

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है; अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 (अधिनियम सं० 13 वर्ष 2008) की धारा 4 की उपधारा (1) सपिटत उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

अनुसूची

क्र0स0	माल का विवरण
22	उत्तराखण्ड राज्य के स्थानीय क्षेत्र के भीतर व्यक्तिगत प्रयोजनार्थ ऑनलाईन शॉपिंग अथवा ई—कॉमर्स द्वारा क्रय या ऑर्डर पर लाया गया सभी प्रकार का माल।

(अमित सिंह नेगी) सचिव।

सं0 25/2015/22(120)/XXVII(8)/2008 तद्दिनांक। प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2— निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100—100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग—8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3— भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4 सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।

5- एन०आई०सी०

6- गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से, (हीरा सिंह बसेड़ा) अनु सचिव।

विश्व अनुभाग <u>१५५९</u> आवश्वीद्भाववावि करें <u>०५॥५।</u>९

> DT./P Sir/Notification E-Commerce(30-10-2015) अपर आयुक्त कर उत्तराखान्ड, देहरादन